



नामांकन का फार्म

(फार्म न 3264)

मैं, _____

पॉलिसी के तहत बीमित व्यक्ति,

बीमा अधिनियम 1938 की धारा 39 के तहत

मेरे (रिश्ते) को नामित करता हूँ

_____ नामित _____

आयु _____ वर्ष

और जिसका पता है :

वह व्यक्ति जिसे मेरी मृत्यु की स्थिति में इस पॉलिसी के तहत सुरक्षित धन का भुगतान किया जाएगा।

पर हस्ताक्षर किए _____, इस _____ दिन 20 _____ का _____ .

गवाह :

(साक्ष्य के हस्ताक्षर अंग्रेजी में)

(बीमा धारक के हस्ताक्षर)

_____ प्रमाणित किया जाता है

कि नामांकन की विषय-वस्तु मैंने बीमित व्यक्ति/व्यक्तियों को उनकी स्थानीय भाषा में समझा दी है,

और उन्होंने मेरी उपस्थिति में, इसे भली-भांति समझने के बाद, इस पर अपने हस्ताक्षर/अंगूठे के

निशान अंकित किए हैं। “

(निर्देश देखना)

(टिप्पणी : यदि इस शर्तों और निबंधनों और विशेष प्रवधानों / शर्तों के संबंध में कोई विवाद पैदा होता है तो अंग्रेजी पाठ विधिमान्य होगा)

निर्देश

(1) नामांकन केवल वही व्यक्ति कर सकता है जिसके पास अपने स्वयं के जीवन पर ली गई पॉलिसी हो, अर्थात् केवल 'जीवन बीमित' (Life Assured) व्यक्ति ही।

(2) नामांकन फॉर्म में, जहाँ भी ज़रूरी हो, खाली जगह भरने के बाद, बीमित व्यक्ति को उसे पॉलिसी के पीछे लिख लेना चाहिए। यदि बीमित व्यक्ति के हस्ताक्षर अंग्रेज़ी में नहीं हैं, तो गवाह का प्रमाण-पत्र भी लिख लेना चाहिए (नीचे 3 देखें)।

(2) बीमित व्यक्ति को किसी गवाह की मौजूदगी में एंडोर्समेंट पर अपने हस्ताक्षर करने होंगे। यदि बीमित व्यक्ति अंग्रेज़ी नहीं जानता है, तो उसे अंग्रेज़ी जानने वाले किसी गवाह के सामने एंडोर्समेंट पर हस्ताक्षर करने चाहिए; और यदि वह अनपढ़ है, तो उसे किसी मजिस्ट्रेट, विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट, राजपत्रित अधिकारी, कम से कम 3 वर्ष के अनुभव वाले किसी अधिकारी या विकास अधिकारी, या एजेंटों में से भर्ती किए गए किसी स्थायी विकास अधिकारी (जो शामिल होने से पहले DM या BM क्लब के सदस्य थे), या एजेंटों में से भर्ती किए गए किसी विकास अधिकारी (जो ZM या चेररमैन क्लब के सदस्य थे) के सामने एंडोर्समेंट पर अपने अंगूठे का निशान लगाना होगा—बशर्ते कि वह अधिकारी एंडोर्समेंट पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) की पहचान से पूरी तरह संतुष्ट हो। ऐसे मामलों में, गवाह को एंडोर्समेंट में दिए गए प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर करने चाहिए।

(3) जैसे ही किसी एंडोर्समेंट के माध्यम से कोई नॉमिनेशन किया जाता है, पॉलिसी को तुरंत कॉर्पोरेशन के सर्विसिंग ऑफिस में नॉमिनेशन के रजिस्ट्रेशन के लिए भेजा जाना चाहिए। कोई भी नॉमिनेशन तब तक प्रभावी नहीं माना जाएगा, जब तक कि उसकी सूचना कॉर्पोरेशन को न दे दी जाए और वह कॉर्पोरेशन द्वारा रजिस्टर्ड न कर लिया जाए।

यदि नॉमिनी नाबालिग हो, तो यह सलाह दी जाती है कि बीमा अधिनियम द्वारा निर्धारित तरीके से एक 'नियुक्त व्यक्ति' (Appointee) नियुक्त किया जाए, ताकि नॉमिनी के नाबालिग रहते हुए यदि बीमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो पॉलिसी के तहत मिलने वाली राशि उस नियुक्त व्यक्ति को प्राप्त हो सके। नियुक्त व्यक्ति की नियुक्ति के लिए निर्देश सहित एक फॉर्म, आवेदन करने पर निगम से प्राप्त किया जा सकता है।

(टिप्पणी : यदि इस शर्तों और निबंधनों और विशेष प्रवधानों / शर्तों के संबंध में कोई विवाद पैदा होता है तो अंग्रेज़ी पाठ विधिमान्य होगा)